न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–59 / 2020

मो0 मोनकिया देवी.....वादिनी

बनाम

सूर्यदेव राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

01.12.2023 अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 18.02.2022 तथा हस्तक्षेपक आवेदक की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 22.09.2023 एवं हस्तक्षेपक आवेदिका कारी देवी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 08.07.2022 तथा तत्संबंधित प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 09.12.2022 पर एकसाथ सुनवाई पश्चात आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादीगण ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के वादिनी मों0 मोनकिया विधवा की मृत्यु दिनांक 17.10.2021 को उनके निज ग्राम भौआ में हो चुकी है। उनके कोई विधिक वारिसान नहीं है और इस वाद में कोई वादी नहीं रह गये है वैसी स्थिति में प्रस्तुत वाद को आगे चलाना त्रुटिपूर्ण वो गलत है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद को न्यायहित में खारिज किया जाय।

उपरोक्त आवेदन का वादी की ओर से दाखिल प्रतिउत्तर दिनांक 22.09.2023 में निवेदन किया गया है कि प्रतिवादी द्वारा दाखिल आवेदन विधि व तथ्य दोनों दृष्टि से पोषणीय नहीं है। प्रार्थी हस्तक्षेपक की ओर से इस वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु एक आवेदन पूर्व में ही दाखिल किया जा चुका है तथा इसी क्रम में आवेदक की ओर से धारा 15 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत भी एक आवेदन दाखिल किया गया है जो सुनवाई हेतु लंबित है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

हस्तक्षेपक कारी देवी उर्फ शांति देवी की ओर से पक्षकार बनाये जाने संबंधी आवेदन दाखिल किया गया जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल किया गया है। आवेदक हस्तक्षेपक ने अपने आवेदन 08.07.2022 में कहा है कि मो0 मुनकिया देवी को विवादित जमीन अपने पति आनन्दी महतो से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। आनन्दी महतो तीन भाई पातो महतो, बनबारी महतो एवं आनन्दी महतो थे। पातो महतो एवं उनकी पत्नी सामवती देवी निःसंतान स्वर्गवासी हो गये। बनवारी महतो अपने पीछे एक पुत्र शिवनंदन महतो को छोड़कर स्वर्गवासी हुए। शिवनंदन महतो अपने पीछे अपनी पत्नी रजिया देवी एवं चार पुत्री अशर्फी देवी, रामवती देवी, कारी देवी उर्फ रामसखी देवी एवं मनती देवी को छोड़कर मरे। आवेदिका कारी देवी मृतक वादिनी की विधिक उत्तराधिकारी है एवं वाद विषय में उसका हित अंतर्निहित है इसलिए प्रस्तुत वाद के उचित एवं आवश्यक पक्षकार होने उनका संयोजन आवश्यक है। लिहाजन उन्हें प्रस्तुत वाद में वादी के स्थान पर नाम जोड़ा जाय।

प्रतिवादीगण की ओर से हस्तक्षेपक आवेदक के आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया है जिसमें निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से दाखिल

आवेदन पोषणीय नहीं है एवं खारिज किये जाने योग्य है। आवेदिका, मोनकिया देवी के तृतीय श्रेणी की उत्तराधिकारी है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विधिक उत्तराधिकार की श्रेणी में शामिल नहीं है तथा मोनकिया देवी के मृत्योपरान्त उनका कोई विधिक उत्तराधिकारी जीवित नहीं है इसलिए प्रस्तुत वाद का उपशमन हो गया है। इसलिए निवेदन है कि हस्तक्षेपक आवेदिका की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि उभय पक्षों के मध्य यह तथ्य स्वीकृत है कि प्रस्तुत वाद के वादिनी मो0 मोनकिया देवी जो एकमात्र वादिनी थी, की मृत्यु हो चुकी है तथा हस्तक्षेपक आवेदिका वादिनी के पति के भाई की पौत्री है जिसका दावाकृत वाद विषय में वादिनी के मरनोपरान्त हित व्युतपन्न हुआ है क्योकि आवेदिका हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारी के अनुपस्थिति में मृत वादिनी के गोत्रज/वंशज की श्रेणी में आती है। वाद के अंतिम एवं प्रभावी रूप से विनिश्चयन के लिए हस्तक्षेपक आवेदिका को वादी के स्थान पर संयोजित करना आवश्यक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव हस्तक्षेपक की ओर से दाखिल आवेदन को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय आवेदिका हस्तक्षेपक का नाम वादी के स्थान पर प्रतिस्थापित करें।

वाद दिनांक–**05.01.2024** वास्ते सुनवाई 89 स0पी0सी0 पर।

मुंसिफ,
शाहपर पटोरी